

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला—भिण्ड
(समक्ष : पी0सी0आर्य)

विविध अपील क्रमांक: 06/2016

संस्थापन दिनांक 04/03/2016

फाइलिंग नंबर—230303003042016

- सुरेन्द्र सिंह पुत्र औतार सिंह गुर्जर,
आयु 37 साल, निवासी ग्राम बहेरा
परगना गोहद जिला भिण्ड.....अपीलार्थी/वादी

वि रु द्ध

- औतार सिंह आयु 56 साल
- रामानुग्रह सिंह, आयु 53 साल
पुत्रगण करनसिंह
- केशपाल सिंह पुत्र औतार सिंह आयु 33 साल
समस्त निवासीगण ग्राम बहेरा परगना गोहद
.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण
- म.प्र. शासन कलेक्टर, जिला भिण्ड
.....कमबद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

न्यायालय—तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—दो, गोहद
द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक—81 ए/15 में पारित
आदेश दिनांक 04/02/2016 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील।

अपीलार्थी/वादी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता

—::— आ दे श —::—

(आज दिनांक 18 जून 2016 को खुले न्यायालय में पारित)

- अपीलार्थी/वादी ने यह अपील श्री पंकज शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग दो, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहारवाद क्रमांक—81 ए/15 में दि. 04/02/2016 को पारित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र आवेदन—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 निरस्त किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर पेश की है।
- प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि वादी/अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र0-3 आपस में सगे भाई होकर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र0-01 के पुत्र हैं तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र0-1 व 2 भी आपस में सगे भाई होकर सभी एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं। और विवादित भूमि निर्विवादित रूप से राजस्व कागजात में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र0-1 व 2 के नाम से इन्द्राजित चली

आ रही है ।

3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी सुरेन्द्रसिंह द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत करते हुए बंटवारे की भी सहायता इस आधार पर चाहते हुए प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि जोकि मौजा बहेरा तहसील गोहद में स्थित होकर सर्वे क्र०-1 रकवा 0.45, सर्वे नं०-2 रकवा 2.44 एवं सर्वे क्र०-142 रकवा 0.82 कुलकिता तीन कुल रकवा 3.71 हैक्टेयर में उसका 1/6 भाग का स्वामित्व और आधिपत्य है, जिसपर से विगत 15 सालों से निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है, जो उसके पिता प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 एवं चाचा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-2 ने पितामह करनसिंह के समक्ष, के जीवनकाल में करीब 20 साल पहले पैत्रिक संपत्ति की आय से क्रय की थी, जिससे संपत्ति पैत्रिक अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी संपत्ति होने से उसका जन्म से उसमें अधिकार है, और विवादित हिस्सा उसे घरू बंटवारे में करीब 15 साल पहले प्राप्त हुआ था । किन्तु प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण दि०-15/7/15 को उसके हिस्से के भू भाग जिसे वह जुतवा रहा था, सडयंत्र कर आये और उन्होंने संपूर्ण खाते की भूमि बेचने की बात कही तथा जब उसके द्वारा यह कहा गया कि उक्त भूमि उसे बंटवारे में मिली है और उसके भाग को क्यों बेच रहे तो प्रत्यर्थी/प्रतिवादी नहीं माने और यह कहते हुए चले गये कि वे तो बेचेंगे, उसको जो करना है करे, जिसपर से हितों की रक्षार्थ उसने उत्पन्न हुए उक्त वादकारण के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत करते हुए प्रकरण के अंतिम निराकरण तक के लिए आई०ए०नंबर-01 के तहत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत उक्त आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत कर विक्रय व अंतरण को निषेधित करने और कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करने से रोकने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की । समर्थन में स्वयं का शपथपत्र पेश किया ।
4. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा वादी/अपीलार्थी के आवेदनपत्र का समुचित उत्तर देते हुए स्वीकृत तथ्यों के अलावा शेष तथ्यों से इंकार कर यह अभिवचन किया कि विवादित भूमि से वादी/अपीलार्थी का कोई संबंध नहीं है, न उसका कोई कब्जा काश्त है, न घरू बंटवारा हुआ, न ही बंटवारे में अपीलार्थी/वादी को विवादित भूमि दी गयी, बल्कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 की स्वअर्जित संपत्ति है जो उसने अपने स्वअर्जित ढंग से क्रय की थी जिसे अंतरित करने का उन्हें पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है । 15 साल पहले कोई घरू बंटवारा नहीं हुआ, न दि०-15/7/15 को वादी/अपीलार्थी से कोई वार्तालाप हुआ । वादी/अपीलार्थी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें घरू खर्च एवं पुराने कर्ज को पटाने के लिए धन की आवश्यकता होने के कारण प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 व 2 ने दि०-5/8/15 को विवादित भूमि रामस्वरूप पुत्र सुखलाल निवासी कल्याणपुरा लहार जिला भिण्ड को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विक्रयपत्र निष्पादित करते हुए बेची है और आधिपत्य सौंपा है। वर्तमान में क्रेता रामस्वरूप की खेती हो रही है । इसलिये आवेदनपत्र निरस्त करने की प्रार्थना की ।
5. यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है क्योंकि वादी/अपीलार्थी का विवादित भूमि में जन्म से

अधिकार संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक संपत्ति होने के कारण है । तथा 15 साल पहले घरू बंटवारे में उसे तीन बीघा भूमि दी गयी थी जिसपर वह तभी से निरंतर काबिज काश्त होकर खेती करता चला आ रहा है और उसके हक अधिकार, आधिपत्य, स्वत्व की भूमि को प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है । और बगैर वैधानिक बंटवारा कराये भूमि विक्रय नहीं की जा सकती है । तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण ने उसके हक को समाप्त करने के उद्देश्य से अवैध तरीके से बयनामा दिखावटी स्वरूप का करा लिया है और मौके पर कोई आधिपत्य किसीको नहीं दिया है, कब्जा उसका निरंतर चला आ रहा है, इसलिये यथास्थित रखी जाना न्यायसंगत है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है । इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे ।

6. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

7. “क्या आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने तथा अपीलार्थी/वादी का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने योग्य है ?”

8. निष्कर्ष के आधार

9. — उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया, विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया ।

10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि प्रकरण में वादी/अपीलार्थी का विवादित संपत्ति पर न तो कोई स्वत्व आधिपत्य है, न उसका राजस्व अभिलेख में कोई इन्द्राज है, बल्कि विवादित भूमि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 व 2 के नाम इन्द्राजित है । वादी के स्वत्व आधिपत्य का कोई लेखीय या मौखिक प्रमाण पेश नहीं किया है । ऐसा भी प्रमाण नहीं है कि वादी/अपीलार्थी जिस संयुक्त परिवार का सदस्य है । उसके सदस्य रहते हुए प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 व 2 ने संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त निधि या आय से भूमि से क्रय की गयी । इस आधार पर तीनों ही विचारणीय बिन्दु अर्थात् प्रथम दृष्टया प्रबल मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्तनीय क्षति के सिद्धांत वादी/अपीलार्थी के पक्ष में होना नहीं पाये और आवेदनपत्र निरस्त किया है । जिससे व्यथित होकर उक्त विविध सिविल अपील प्रस्तुत की गयी है ।

11. वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में अपील ज्ञापन में उठाये गये बिन्दुओं के अनुरूप तर्क करते हुए मूलतः यह कहा है कि विवादित संपत्ति सजरा खानदान मुताबिक संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति है । और बगैर विभाजन प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण को भूमि विक्रय का अधिकार नहीं है । संपूर्ण भूमि विक्रय करने का तो कतई अधिकार नहीं है । वादी/अपीलार्थी घरू बंटवारे के तहत तीन बीघा भूमि पर दावा पूर्व 15 सालों से काबिज काश्त होकर कृषि लाभ ले रहा है । अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में उसके वैधानिक अधिकार पर कुठाराघात होगा और अपूर्तनीय क्षति होगी, क्योंकि उसके व उसके परिवार के जीवन यापन का साधन कृषि भूमि ही है । इसलिये अपील स्वीकार की जाये और अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जाये ।

12. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा खण्डन तर्कों

में यह बताया है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 व 2 स्वीकृत तौर पर इन्द्राजित भूमिस्वामी है, उनकी निजी स्वअर्जित संपत्ति है और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार उसे हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार है। वादी/अपीलार्थी का उससे कोई संबंध नहीं है। कोई घरू बंटवारा नहीं हुआ, न ही वादी को कोई संपत्ति दी गयी। सभी तथ्य काल्पनिक हैं और कोई विवाद भी नहीं हुआ। काल्पनिक वादकारण बताते हुए झूठा दावा किया और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उचित निष्कर्ष निकालते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करने से इंकार किया है। प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल नहीं है। उसे सव्यय निरस्त किया जावे।

13. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर वादी/अपीलार्थी के द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति बताते हुए सहदायिकी के आधार पर जन्म से अधिकार बताते हुए दावा किया, दूसरा आधार यह लिया गया है कि दावा पूर्व 15 साल पहले घरू बंटवारा हुआ जिसमें उसे तीन बीघा भूमि दी गयी। जिसपर वह तभी से काबिज काशत होकर कृषि लाभ स्वत्व आधिपत्यधारी की हैसियत से लेता चला आ रहा है। अभिलेख पर जो दस्तावेजी प्रमाण पेश किया है उसमें किशतबंदी खतौनी और खसरा वर्ष 2014-15 की नकलें पेश की गयी हैं। जिनके अवलोकन से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 व 2 इन्द्राजित भूमिस्वामी हैं। कॉलम नंबर-12 जो कैफियत का कॉलम है उसमें इन्द्राजित स्वामी से भिन्न कोई व्यक्ति काबिज होता है तो उसका इन्द्राज होता है। ऐसा कोई इन्द्राज वादी/अपीलार्थी का राजस्व अभिलेख में नहीं है। ऐसा भी कोई प्रमाण दस्तावेजी या अन्य स्वरूप का वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया, जो यह दर्शित करे कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 व 2 के द्वारा अपने पिता अर्थात् वादी/अपीलार्थी के पितामह करनसिंह के जीवनकाल में संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त आय से खरीदी गयी हो।
14. अभिलेख पर 15 साल पहले कोई घरू बंटवारा होने और उसमें तीन बीघा भूमि वादी/अपीलार्थी को उसके हिस्से में दिये जाने का भी कोई प्रमाण नहीं है। वादी/अपीलार्थी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसे तीन बीघा भूमि किस सर्वे क्रमांक में से मिली? यदि एक से अधिक सर्वे क्रमांकों में से मिली हो तो किस सर्वे क्रमांक का कितना हिस्सा, किस दिशा की ओर प्राप्त हुआ? वह कौन से हिस्से पर किस दिशा में कितनी भूमि पर कृषि कर रहा है? ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी के द्वारा जो सहदायिकी के आधार पर जन्म से अधिकार का का बिन्दु उठाया गया है, वह गुणदोषों पर ही उभयपक्षीय साक्ष्य पश्चात् मूल्यांकित किया जा सकता है, इस स्तर पर इस बिन्दु के संबंध में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जिससे वादी/अपीलार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किए जाने योग्य प्रथम दृष्टया सुदृढ़ मामला बनना प्रतीत नहीं होता है और वर्तमान में कब्जे में होने का भी प्रमाण परिलक्षित नहीं होता है। केवल प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 के पुत्र के नाते उसे क्या हक मिलेगा? यह अंतिम निराकरण में ही विश्लेषित हो सकेगा।
15. जहां तक विक्रय का प्रश्न है, निर्विवादित रूप से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-1 व 2 के द्वारा उक्त मूल वाद में दर्शायी गयी विवादित संपूर्ण भूमि को वे रामस्वरूप पुत्र सुखलाल को विक्रय कर चुके हैं, मूल प्रकरण में क्रेता को पक्षकार बनाये जाने के संबंध में वादी/अपीलार्थी की ओर से आवेदनपत्र पेश किया जा चुका है, जो विचाराधीन है, अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री भी पेश नहीं की गयी जिससे भविष्य में भी प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण कोई विवादित भूमि

विक्रय कर सकते हों या विक्रय को शेष बची हो । ऐसे में विक्रय या अंतरण को निषेधित किए जाने की परिस्थितियां भी अभिलेख पर विद्यमान नहीं हैं । ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी द्वारा चाही गयी अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधि संबंधी या तथ्यात्मक भूल या त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है । जहां तक विक्रय बाद लंबन काल का बताया गया है, उसके संबंध में धारा-52 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत प्रभाव का भी अंतिम निराकरण के समय ही विश्लेषण किया जा सकता है । इस स्तर पर इस संबंध में भी कोई टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है ।

16. इस तरह से प्रस्तुत की गयी उक्त विविध सिविल अपील में कोई बल न होने से उसे निरस्त करते हुए आलोच्य आदेश की पुष्टि करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को मामले का शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस किया जाता है ।
17. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे । जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम जो जोड़ जावे ।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक-18/06/2016

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग)